



बिहार सरकार
ई-मेल—arms.jeh.bih@gmail.com

वेबसाईट—jehanabad.bih.nic.in

दूरभाष/फैक्स—06114-223142

पत्रांक—सं०—

(जिला शस्त्र शाखा)

दिनांक—

समाहरणालय, जहानाबाद ।



आदेश

आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्रीकांत शर्मा, पिता—स्व० सिद्धेश्वर सिंह, ग्राम—केवला, थाना—हुलासगंज, जिला—जहानाबाद द्वारा आवेदन के माध्यम से स्वयं धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०—470/495/2005—हुलासगंज थाना, UIN-051640006314912015, N.P Bore Rifle no.-904038, 30.06 बोर का क्षेत्र वैधता “संपूर्ण बिहार” के लिए विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है। इनकी अनुज्ञप्ति का सीमा क्षेत्र की मान्यता मगध कमीशनरी एवं पटना कमीशनरी है।

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक—206/गो०, दिनांक—22.05.2018 द्वारा आवेदक के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है। अतः आयुध नियम—2016 के नियम—19 की कंडिका—(1) के आलोक में आवेदक श्रीकांत शर्मा, पिता—स्व० सिद्धेश्वर सिंह, ग्राम—केवला, थाना—हुलासगंज, जिला— जहानाबाद का शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०— 470/495/2005 — हुलासगंज थाना UIN- 051640006314912015 की विधि मान्यता क्षेत्र का विस्तार “संपूर्ण बिहार” करने की स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक—XVII-3112-362/शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक—16.11.2018

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, एन० आई० सी०, जहानाबाद को जहानाबाद के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- श्रीकांत शर्मा, पिता—स्व० सिद्धेश्वर सिंह, ग्राम—केवला, थाना—हुलासगंज, जिला—जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका।

हस्ताक्षर
जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।